आदेश	कार्यवाही विवरण
	2/8/25 पत्राव[illegible] उपस्थित पीठा[illegible] /जनसुनवाई/ बैठक/[illegible] कार्य में व्यस्त है पत्रावली वास्ते गत-आदेशानुसार दिनांक...1/2/25 को पेश हो । रीडर
	1/2/25 पत्रावली पेश हुई । वकील पक्षकारान उपस्थित। पत्रावली वास्ते गत आदेशानुसार दिनांक...12/2/25 को पेश हो । उपखण्ड अधिकारी
	12/2/25 पत्रावली पेश हुई । वकील पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन [illegible] महोदय [illegible]/जनसुनवाई/ बैठक/आर. ओ. बैठक/राजकार्य में व्यस्त है । पत्रावली वास्ते गत-आदेशानुसार दिनांक...5/3/25 को पेश हो । रीडर
	5/3/25 पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी महोदय दौरे... अवकाश... है । अतः पत्रावली वास्ते अग्रिम [illegible] दिनांक...25/3/25.. को पेश हो ।
	25/3/25 पत्रावली पेश हुई । वकलान उप० । पत्रावली पर बहस सुनी गई । पत्रावली वास्ते आदेश अग्रिम दिनांक 28/3/25 को पेश हो । उपखण्ड अधिकारी [illegible]
	28/3/25 पत्रावली पेश हुई । वकील प्रार्थी उप. । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात व प्रा. पत्र मूल का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया गया । प्रा. पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है । प्रा. पत्र स्वीकार किया जाता है । प्रा. पत्र पर विस्तृत आदेश पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल होकर पत्रावली दाखिल दफ्तर हो । उपखण्ड [illegible]

— 4

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी :— श्रीमति सुमन सोनल (आर.ए.एस.)
मुकदमा संख्याः 38/2024 दर्ज दिनांकः 16.10.2024
जी.सी.एम.एस. न0ः 2024/322

मंगल सिंह पुत्र इन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी बागोली तह. उदयपुरवाटी
प्रार्थी........

बनाम

राजस्थान सरकार भूमिधारक जरिये तहसीलदार, तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
अप्रार्थी...........

प्रार्थना पत्र अं0 धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

निर्णय

निर्णय दिनांकः— .03.2025

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम इस आशय का पेश किया है कि खाता सं. नये 332 की भूमि ख.नं. 856 रकबा 0.72 हैक्टर ग्राम बागोली प.ह. बागोली तह. उदयपुरवाटी में स्थित है। उक्त भूमि ख.नं. 856 रकबा 0.72 हैक्टर में आवेदक का 13/24 हिस्सा था। आवेदक ने अपने उक्त हिस्सा 13/24 अर्थात् 0.39 हैक्टर में से रकबा 0.11 हैक्टर भूमि दिनांक 12.09.2024 को केती श्रीमती लक्ष्मी कंवर पत्नि सुमेरसिंह जाति राजपूत निवासी बागोली तह. उदयपुरवाटी को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के विक्रय कर दी थी तथा उक्त विक्रय की गयी रकबा 0.11 हैक्टर भूमि से आवेदक ने अपना कब्जा हटा कर मौके पर उक्त केती का कब्जा करवा दिया था।

दिनांक 12.09.2024 को आवेदक द्वारा उक्त भूमि का विक्रय पत्र उप पंजीयक कार्यालय उदयपुरवाटी में विक्रय पत्र पंजियन करवाने के तुरन्त बाद अर्थात् उसी समय ही नामान्तरण भी भरा गया था। जिसमें केती के हक में रकबा 0.11 हैक्टर का नामान्तरण भरने की बजाय आवेदक के सम्पूर्ण हिस्सा 13/24 का नामान्तरण गलत रूप से दर्ज कर दिया गया। जिसका पता चलने पर केती ने भी अनावेदक के समक्ष आवेदन पत्र दिनांक 17.09.2024 को पेश कर निवेदन किया, कि उसके हक केवल 0.11 हैक्टर भूमि का ही नामान्तरण भरा जावें, शेष भूमि आवेदक/विक्रेता के हक में ही बदस्तूर रखी जावें तथा आवेदक ने भी दिनांक 27.09.2024 को अनावेदक के समक्ष प्रार्थना—पत्र पेश कर निवेदन किया था, कि ग्राम बागोली में स्थित भूमि ख.नं. 856 रकबा 0.72 हैक्टर में आवेदक का 13/24 हिस्सा था, आवेदक ने अपने हिस्से की उक्त भूमि में से केवल 0.11 हैक्टर भूमि

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

बेचान केती लक्ष्मी कंवर पत्नी सुमेरसिंह जाति राजपूत निवासी बागोली को किया था। लेकिन विक्रय पत्र पंजीयन के बाद ऑन लाईन नामान्तरण उक्त केती के हक में आवेदक के हिस्से की सम्पूर्ण भूमि का गलत रूप से दर्ज कर दिया गया। जबकि केती के हक में विक्रय की गयी भूमि रकबा 0.11 हैक्टर अर्थात 11/72 हिस्सा ही केती के नाम से दर्ज होना चाहिये था, शेष हिस्सा 28/72 आवेदक के नाम से बदस्तूर रहना चाहिये था। आवेदक के आवेदन पत्र अनावेदक तहसीलदार के उक्त नामान्तरण दुरूस्तर करने के आदेश भी उसी दिन 27.09.2024 को हल्का पटवारी बागोली को दे दिये थे, जिसके क्रमांक सं. 24/2063 हैं। उक्त आदेशों की फोटो प्रति संलग्न की गई है। अंत में निवेदन किया गया की ग्राम बागोली में स्थित नया खाता सं. 332 की भूमि ख.नं. 856 रकबा 0.72 है. के राजस्व रिकार्ड में केती का हिस्सा 11/72 व शेष हिस्सा 28/72 आवेदक के नाम से दर्ज करने हेतु अनावेदक तहसीलदार, उदयपुरवाटी को आदेशित किया जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थी की तलबी वास्ते जबाबदेही तय की गई। अप्रार्थी तहसीलदार उदयपुरवाटी के पत्र क्रमांक भू.अ./2024/2734 दिनांक 16.12.2024 से जबाब/तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी मंगलसिंह ने अपने हिस्से में से 0.11 हैक्टर भूमि केती लक्ष्मी कंवर पत्नी सुमेर सिंह जाति राजपूत निवासी बागोली को दिनांक 12.09.2024 को बेचान कर दिया जिसका नामान्तरण स्वतः स्वीकृत नामा. सं. 1162 दिनांक 12.09.2024 से दर्ज हुआ। उक्त नामान्तरण दर्ज होते समय विक्रेता मंगल सिंह के हिस्से की सम्पूर्ण भूमि का नामान्तरण केती लक्ष्मी कंवर पत्नि सुमेरसिंह के नाम दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी मंगलसिंह ने उक्त खसरे में आने हिस्से में से केवल 0.11 हैक्टर भूमि की केती लक्ष्मी कंवर को बेचान किया था। प्रार्थी अपने हिस्से को दुरूस्त करवाना चाहता है। अतः उक्त रिकार्ड दुरूस्त किया जाना उचित है।

बहस प्रार्थना पत्र अ0 धारा 136 एल. आर. एक्ट पर श्रवण की गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि खाता सं. नये 332 की भूमि ख.नं. 856 रकबा 0.72 हैक्टर ग्राम बागोली प.ह. बागोली तह. उदयपुरवाटी में स्थित है। उक्त भूमि ख.नं. 856 रकबा 0.72 हैक्टर में आवेदक का 13/24 हिस्सा था। आवेदक ने अपने उक्त हिस्सा 13/24 अर्थात् 0.39 हैक्टर में से रकबा 0.11 हैक्टर भूमि दिनांक 12.09.2024 को केती श्रीमती लक्ष्मी कंवर पत्नि सुमेरसिंह जाति राजपूत निवासी बागोली तह. उदयपुरवाटी को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के विक्रय कर दी थी तथा उक्त विक्रय की गयी रकबा 0.11 हैक्टर भूमि से आवेदक ने अपना कब्जा हटा कर मौके पर उक्त केती का कब्जा करवा दिया था। दिनांक 12.09.2024 को आवेदक द्वारा उक्त भूमि का विक्रय पत्र उप पंजीयक कार्यालय उदयपुरवाटी में विक्रय पत्र पंजियन करवाने के तुरन्त बाद अर्थात् उसी समय ही नामान्तरण भी भरा गया था। जिसमें केती के

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

AnyScanner

रकबा 0.11 हैक्टर का नामान्तरण भरने की बजाय आवेदक के सम्पूर्ण हिस्सा /24 का नामान्तरण गलत रूप से दर्ज कर दिया गया। ग्राम बागोली में स्थित नया खाता सं. 332 की भूमि ख.नं. 856 रकबा 0.72 है. के राजस्व रिकार्ड में केती का हिस्सा 11/72 व शेष हिस्सा 28/72 आवेदक के नाम से दर्ज करने हेतु अनावेदक तहसीलदार, उदयपुरवाटी को आदेशित किया जावें।जिसको शुद्ध व दुरूस्त किये जाने के आदेश पारित किये जावे।

पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। बहस श्रवण करने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतित होता है।

—::आदेश::—

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अ0 धारा 136 एल. आर. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व ग्राम बागोली पटवार हल्का बागोली में स्थित नया खाता सं. 332 की भूमि ख. नं. 856 रकबा 0.72 हैक्टर में दर्ज लक्ष्मी कँवर पत्नि सुमेरसिंह हिस्सा 13/24 के स्थान पर लक्ष्मी कँवर पत्नि सुमेरसिंह 11/72 हिस्सा व मंगल सिंह पुत्र इन्द्र सिंह हिस्सा 28/72 शुद्व/दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार उदयपुरवाटी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी हो। उक्त खसरा नम्बरान के शेष इन्द्राज बदस्तुर रहेंगे।

(सुमन सोनल)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

निर्णय आज दिनांक .03.2025 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुमन सोनल)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी